निदेशालय, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड,

23–लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

पत्रांकः271839/ नि0वि0ले0 / ए0ए0ओ0स्था0–2026 / ई.151827 / 2026 दिनांक,20 अप्रैल, 2026।

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तराखण्ड सरकार की अधिसूचना सं0–12 / xxxvi(3) / 2018 / 20(1)2017 दिनांक 05 फरवरी 2018 द्वारा राज्य कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु शासन द्वारा जारी ''उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या–1वर्ष 2018)'' में दिये गये उपबन्धों के आधार पर सहायक लेखाधिकारी संवर्गान्तरगत कार्यरत कार्मिकों के वार्षिक स्थानान्तरण की कार्यवाही गतिमान है। उत्तराखण्ड शासन कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश सं0–102/XXX(2)/ 16/30(13)/2017 दिनांक 14 अप्रैल 2018 एवं निदेशालय क कार्यालय ज्ञाप पत्रांक–265124 / नि0वि0ले0 / ए0ए0ओ0 / स्था0–2026 / ई0–151827 / 2022 दिनांक 28 मार्च 2026 द्वारा निदेशालय, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन विभिन्न विभागों में सहायक लेखाधिकारी के स्वीकृत पद जिन स्थानों में स्वीकृत हैं का सुगम एवं दुर्गम कार्यस्थलों में चिन्हीकरण किया गया है। तत्क्रम में सहायक लेखाधिकारी के पदों पर तैनात अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण के प्रयोजनार्थ उपलब्ध वास्तविक एवं सम्भावित रिक्तियों तथा अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की सूची निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप पत्रांकः 269757 / नि0वि0ले0 / ए0ए0ओ0स्था0–2026 / ई.151827 / 2026 दिनांकः 15 अप्रैल, 2026 द्वारा परिचालित कर निदेशालय की वेब–साईट पर भी अपलोड की गयी है।

अधिनियम की धारा–9 व 12 के अनुसार सुगम से दुर्गम एवं दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उपलब्ध एवं सम्भावित रिक्तियों की सीमा में पात्र कार्मिकों से अधिकतम 10 दुर्गम (सुगम से दुर्गम स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों को) एवं 10 सुगम (दुर्गम से सुगम स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों को) स्थानों, जहां वे तैनाती के इच्छुक हों, के लिए विकल्प मांगे जाने की व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

अतः निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप पत्रांक 269757 दिनांक 15.04.2026 द्वारा निर्गत पात्रता सूची के अनुसार सुगम क्षेत्र में तैनात कार्मिक दुर्गम क्षेत्र में रिक्तियों / सम्भावित रिक्त पदों पर तथा दुर्गम क्षेत्र में तैनात कार्मिक सुगम क्षेत्र में रिक्तियों / सम्भावित रिक्त पदों पर स्थानान्तरण हेतु अपना विकल्प अधिकतम 10 स्थान, जहां तैनाती के इच्छुक हों प्राथमिकता क्रम में दिनांक 15 मई 2026 तक अनिवार्य रूप से इस निदेशालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

Digitally signed by
Ganga Prasad
Date: 20-04-2026
16:23:13

(गंगा प्रसाद)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष।
3. अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र सहायक लेखाधिकारीगण।
4. विभागीय वेब–साइट में अपलोड किये जाने के प्रयोजनार्थ।

ह0 / –
(गंगा प्रसाद)
निदेशक

निदेशालय, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड,

23—लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

271842

पत्रांकः /नि0वि0ले0/ए0ए0ओ0स्था0—2026/ई.151827/2026 दिनांकः 20 अप्रैल, 2026।

कार्यालय—ज्ञाप

उत्तराखण्ड सरकार की अधिसूचना सं0—12/XXXVI(3)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 फरवरी 2018 द्वारा राज्य कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु शासन द्वारा जारी ''उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या—1वर्ष 2018)'' में दिये गये उपबन्धों के आधार पर सहायक लेखाधिकारी संवर्गान्तरगत कार्यरत कार्मिकों के वार्षिक स्थानान्तरण की कार्यवाही गतिमान है। उत्तराखण्ड शासन कार्मिक अनुभाग—2 के शासनादेश सं0—102/XXX(2)/16/30(13)/2017 दिनांक 14 अप्रैल 2018 एवं निदेशालय क कार्यालय ज्ञाप पत्रांक—265124 दिनांक 28 मार्च 2026 द्वारा निदेशालय, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन विभिन्न विभागों में सहायक लेखाधिकारी के स्वीकृत पद जिन स्थानों में स्वीकृत हैं का सुगम एवं दुर्गम कार्यस्थलों में चिन्हीकरण किया गया है। तत्क्रम में सहायक लेखाधिकारी के पदों पर तैनात अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण के प्रयोजनार्थ उपलब्ध वास्तविक एवं सम्भावित रिक्तियों तथा अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की सूची निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप पत्रांकः 269757 दिनांकः 15 अप्रैल, 2026 द्वारा परिचालित कर निदेशालय की वेब—साईट पर भी अपलोड की गयी है।

उपरोक्त के क्रम में अधिनियम की धारा—13 एवं धारा—23 में उल्लिखित उपबन्धों के अधीन एतद्द्वारा अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु अधिनियम में उल्लिखित परिस्थितियों से सम्बन्धित प्रमाणित अभिलेख संलग्न कर उपलब्ध कराये जाने अनिवार्य हैं।

Digitally signed by
Ganga Prasad
Date: 20-04-2026
16:24:47

(गंगा प्रसाद)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।
3. समस्त सहायक लेखाधिकारीगण।
4. विभागीय वेब—साइट में अपलोड किये जाने के प्रयोजनार्थ।

ह0/—
(गंगा प्रसाद)
निदेशक